भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3677

13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

हेल्थ ड्रिंक्स की लेबलिंग

3677. श्री अशोक कुमार यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को कतिपय उत्पादों को 'हेल्थ ड्रिंक्स' के रूप में वर्गीकृत करने से बचने के निर्देश जारी किए हैं क्योंकि यह शब्द खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार युवाओं में गैर-संचारी रोगों की वृद्धि और मधुमेह तथा मोटापे के बढ़ते चलन के प्रति अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फ्री शुगर की सीमा के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) में बचपन के मोटापे में वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार एफपीओ लेबलिंग, वैज्ञानिक दावों, चीनी की सीमा और सार्वजनिक जागरूकता पहल से संबंधित उपायों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान -आधारित मानक निर्धारित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की

उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की संयुक्त जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है।

एफएसएसएआई ने दिनांक 28.03.2024 की अपनी एडवाइजरी के माध्यम से स्पष्ट किया है कि 'हेल्थ ड्रिंक' को एफएसएस अधिनियम, 2006 या इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत कहीं भी परिभाषित/मानकीकृत नहीं किया गया है। अतः, 'स्वामित्व वाले खाद्य' के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पाद, जिनकी निकटतम श्रेणी-डेयरी आधारित पेय मिश्रण या अनाज आधारित पेय मिश्रण या माल्ट आधारित पेय है, और जिन्हें ई-कॉमर्स वेबसाइट पर 'हेल्थ ड्रिंक', 'एनर्जी ड्रिंक' श्रेणी के अंतर्गत बेचा जा रहा है, को सलाह दी गई है कि वे अपनी वेबसाइट पर 'हेल्थ ड्रिंक्स / एनर्जी ड्रिंक्स' की श्रेणी से ऐसे पेय को हटा दें / डी-लिंक करें और ऐसे उत्पादों को प्रचलित कानून के तहत प्रदान की गई उपयुक्त श्रेणी में रखें।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5, 2019–21) के अनुसार, 24% महिलाएं, 23% पुरुष और 3% बच्चे अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं।

अस्वास्थ्यकर आहार, निष्क्रिय जीवनशैली और पर्यावरणीय कारक मोटापे की बढ़ती प्रवृत्ति में प्रमुख योगदान देते हैं। संसाधित खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत, शारीरिक गतिविधि में कमी और जीवनशैली में बदलावों ने इस बढ़ते संकट को और बढ़ा दिया है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के जनमानस को प्रभावित कर रहा है।

उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं में, स्वस्थ खान-पान की आदत विकसित करने के लिए, एफएसएसएआई निम्नलिखित जागरूकता और नियामक उपाय करता है:-

- एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया पर "मोटापे को रोकें" और "मोटापे से लड़ें" नामक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत मोटापे पर विभिन्न प्रकार की शैक्षिक और जागरूकता सामग्री साझा की जाती है। मोटापे से लड़ने और तेल के उपयोग को कम करने के बारे में स्कूल के बच्चों, युवाओं और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों की प्रमाणित क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती हैं। बच्चों को मोटापे के खतरों और स्वस्थ आहार तथा नियमित शारीरिक गतिविधि के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए बच्चों के अनुकूल एनिमेटेड वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया पर प्रकाशित किए जाते हैं।
- माईगव के सहयोग से 'इट राइट क्विज ऑन ओबेसिटी' नामक प्रश्नोत्तरी अप्रैल 2025 में शुरू की गई है, ताकि लोगों को मोटापे और स्वस्थ जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित करते हुए उन्हें एक मज़ेदार और संवादत्मक तरीके से जोड़ा जा सके।
- देशव्यापी अभियान 'ईट राइट इंडिया' आंदोलन, जिसका ध्यान सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन के माध्यम से निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित है। यह पहल तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है - सुरक्षित खाएं, स्वस्थ खाएं और सतत खाएं। यह एफएसएसएआई के नेतृत्व में सभी हितधारकों का एक सामूहिक प्रयास है, जिसका उद्देश्य 'सही भोजन बेहतर जीवन' के टैगलाइन के साथ देश के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना है।

- ज्यादा वसा, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए, एफएसएसएआई ने संयमित उपभोग को बढ़ावा देने के लिए 'आज से थोड़ा कम' नामक अभियान शुरू किया है। यह उपभोक्ताओं को आहार में संशोधन के माध्यम से वसा, नमक और चीनी के अपने सेवन को धीरे-धीरे कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य पदार्थ) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं, जो शिशु खाद्य और फॉर्मूला की विभिन्न श्रेणियों के लिए मानक निर्धारित करते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य पदार्थ) विनियम, 2020 के तहत शिशु खाद्य उत्पादों में चीनी के लिए निर्दिष्ट सीमाएं कोडेक्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।
- एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं, जो उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों का चयन करते समय सूचित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए लेबल पर नमक, चीनी और वसा से संबंधित पोषण संबंधी जानकारी का उल्लेख करना अनिवार्य करता है। सोशल मीडिया पर "हर लेबल कुछ कहता है" अभियान पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता और स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देता है। यह राष्ट्रीय पहल उपभोक्ताओं को खाद्य लेबल संबंधी उनकी समझ को बढ़ाकर, उन्हें विवेकसम्मत आहार संबंधी विकल्प चुनने में सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
